

15/07
25

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की कुदरती वलियां माता एवं वादमिजा श्रीमती रेखा चौधरी व उनके अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पेश कर जरिफे विज्ञापन वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। चूंकि वादी एवं उनके अधिवक्ता वाद से चलाना नहीं चाहते हैं अतः वाद वादीगण जरिफे विज्ञापन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली किसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
मगवण्ड अधिकारी, बाली

रेखा चौधरी
Identified by
[Signature]